न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

बनवारी बनाम भगवाना वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	दावा मु.नं. – 142/2009	
23-12-20	[illegible] पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18-3-21 को पेश हो। Raj	
18-3-21	[illegible] पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./~~अनुपस्थित~~। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17-5-21 को पेश हो।	
13-8-21	[illegible] महामारी Covid-19 से होने वाले संक्रमण को रोकने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की पालना में समस्त पत्रावलियों में इकजाही तारीख पेशीयाँ देने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/मीटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावाली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5-10-21 को पेश हो। Raj	
28.10.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– नांगल में पेश हुई। वकील वादीगण मय पक्षकारान् उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर सहमति पत्र पेश किया। ग्राम पचायंत नांगल में आयोजित शिविर में उपस्थित वादीगण संख्या 1 ता 3 की पहचान श्री कमल किशोर वर्मा एड0 ने की एंव उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान श्री महेश कुमार शर्मा अध्यापक ने की। उपस्थित पक्षकारान् को सहमति पत्र पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान् ने सुन व समझकर सही होना स्वीकार किये जाने पर सहमति पत्र बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण एंव पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण एंव पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस [illegible] एकपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय [illegible] स [illegible] आया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार [illegible] वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 28/10/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–नांगल	भगवान सहाय पुष्पा किरोड़ीमल महेश कुमार शर्मा गीता देवी सरपंच ग्राम पंचायत नांगल [illegible] श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
142 / 2009	2009 / 192	24.06.2009	28.10.2021

उनवान

1. बनवारी पुत्र नानग आयु 50 साल जाति बलाई निवासी नांगल
2. विनोद उर्फ मनोज दत्तक पुत्र स्व0 शंकर आयु 16 साल
3. पूजा पुत्री स्व0 शंकर आयु 13 साल जाति बलाई निवासीगण नांगल नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर नाबालिगान जरिये सरंक्षक बनवारी पुत्र नानग निवासी नांगल नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

वादीगण

बनाम

1. भगवाना पुत्र नानग आयु 58 वर्ष जाति बलाई निवासी नांगल नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. गुलाब पुत्री नानग जाति बलाई निवासी नांगल नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर हाल पत्नि प्रभू निवासी भादवाड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0
3. पटवारी हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर
4. उप पंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री कालूराम मिश्रा, वादीगण अभिभाषक।
श्री कमल किशोर वर्मा, वादीगण नं. 1 [illegible] अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर [illegible] नं. 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:35 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

28/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम नांगल पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2405, 2406, 2410, 2451, 2455, 2456 कुल किता 06 कुल रकबा 3.300 हैक्टर स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमियों के पुराने कृषि भूमि खसरा नम्बर 2326 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा थे। जिसकी खातेदारी वादी नम्बर 1, प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता तथा वादीगण नम्बर 2 व 3 के दादा मृत्तक नानग के 1/3 हिस्से की राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। मृत्तक पिता नानग की मृत्यु के वक्त वादी व वादी नम्बर 1 व 2 के पिता स्वर्गीय शंकर नाबालिग थे। विरासत के नामान्तकरण में गलती से वादी नम्बर 1 के भाई मृत्तक प्रभू एंव भगवाना का नाम नामान्तकरण भर दिया गया। जबकि वादी एंव मृत्तक प्रभू, मृत्तक शंकर, भगवान सहाय उर्फ भगवाना आपस में सगे भाई है। पक्षकारान् एक ही परिवार के है जो सजरा खानदान से स्पष्ट है। उक्त भूमियॉ वादीगण की पैत्रृक भूमियॉ है। उक्त भूमियों के 1/3 हिस्से मे 1/4 हिससे की खातेदारी वादी नम्बर 1 के नाम तथा 1/4 हिस्से की खातेदारी वादीगण नम्बर 2 व 3 के नाम तथा 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नं. 1 के नाम एंव 1/4 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादिया नम्बर 2 के नाम दर्ज होनी चाहिए। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमियॉ मृत्तक प्रभू एंव भगवाना के नाम 1/3 हिस्से की दर्ज है जिसमें प्रभू अविवाहित फौत हो चुका है उसके कानूनी उत्तराधिकारी एंव वारिस वादीगण एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 है। मृत्तक नानग के नाम दर्ज उक्त पैत्रृक भूमियों में चारों भाईयों का हिस्सा विरासत के नामान्तकरण के आधार पर बराबर–बराबर दर्ज होना चाहिए था परन्तु गलती से राजस्व रिकार्ड मृत्तक प्रभू एंव प्रतिवादी नम्बर–1 भगवाना के नाम दर्ज हो गया। वादी नम्बर 1 व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का भाई मृत्तक शंकर ने अपने जीवनकाल में ही कोई पुत्र संतान नहीं होने के कारण अपनी पत्नी मीरा के साथ अपने भाई बनवारी के लड़के विनोद कुमार उर्फ मनोज कुमार को गोद ले लिया था तथा उसको गोद लेकर अपने साथ रख लिया था। वादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के भाई शंकर का स्वर्गवास दिनांक 4.1.2000 को हो गया था जिसका धार्मिक, सांसारिक कियाकर्म आदि दत्तक पुत्र विनोद उर्फ मनोज के द्वारा किया गया। शंकर के स्वर्गवास के बाद उसकी बेवा मीरा देवी ने एक गोदनामा पचास रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखवा दिया था। जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:35 IST
Reason: Self Attested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

गांव एंव समाज के मौजिज व्यक्तियों के बतौर साक्षी हस्ताक्षर करवा दिये गये थे। ग्राम पंचायत नांगल के राशनकार्ड में भी मीरादेवी एंव शंकरलाल के पुत्र के रूप में विनोद उर्फ मनोज का नाम तथा पुत्री के रूप में पूजा का नाम दर्ज है तथा उसके बाद मृत्तक शंकर की पत्नि मीरादेवी ने अपने पति के स्वर्गवास के बाद पुर्नःविवाह बलदेवराम बलाई निवासी बागड़ा का बास जिला जयपुर के साथ कर लिया तथा वर्तमान में उसी के साथ रह रही है। वादी नम्बर 1 वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से पर तथा वादीगण नम्बर 2 व 3 हिस्सा 1/4 पर पूर्ण रूपेण काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण ने अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों को समतल व उपजाउ बनाकर विकसित कर रखी है। वादीगण के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज नहीं होने से वादीगण को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण के नाम भूमियों की खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित होने से वादीगण उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण को पहले कई बार कहा परन्तु अर्सा 10 दिन पहले इन्कार हो गये तथा वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी। इसलिए दावा पेश करने बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1 ता 2 की ओर से कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं आयें। प्रतिवादी सं. 3 से 5 के हाजिर अदालत उपस्थित नही आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में वादीगण बनवारी, विनोद उर्फ मनोज, पूजा एंव प्रतिवादी संख्या 1 भगवाना के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत नांगल में उपस्थित होकर पक्षकारान् के मध्य लोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण में इस बाबत एक सहमति पत्र जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणितशुदा है का पेश कर प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किये जाने का निवेदन उपस्थित पक्षकारान् के द्वारा किया गया है। पक्षकारान् के द्वारा पेश सहमति पत्र पर उपस्थित वादीगण की पहचान श्री कमल किशोर वर्मा एड0 के द्वारा तथा प्रतिवादी भगवाना की पहचान श्री महेश कुमार शर्मा अध्यापक निवासी नांगल के द्वारा की गई है। सहमति पत्र तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:35 IST
Reason: SelfAttested

27/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हमनें पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में वादीगण अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियॉ में प्रभू पुत्र नानग हिस्सा 1/6 जाति बलाई व भगवाना पुत्र नानग हिस्सा 1/6 जाति बलाई सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार है। जिसमें वादीगण बनवारी, विनोद उर्फ मनोज दत्तक पुत्र स्व0 शंकर व पूजा पुत्री स्व0 शंकर के नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है। जबकि सजरा खानदान अनुसार नानग पुत्र दोलाराम के रामकोरी पत्नि– फौत, प्रभू –अविवाहित पुत्र– फौत, गुलाब पुत्री, कमली पुत्री– फौत, भगवानसहाय उर्फ भगवाना प्रतिवादी नं. 1, बनवारी वादी, शंकर पुत्र– फौत होना अंकित है। शंकर की फौतगी पर उसकी पत्नि मीरा के द्वारा पुर्नःविवाह कर लिया जाना, विनोद उर्फ मनोज पुत्र, पूजा पुत्री होना स्पष्ट प्रतित होता है। जो प्रस्तुत सजरा खानदान अनुसार एक ही परिवार से होना प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमि होना सिद्ध होता है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 भगवाना के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत नांगल में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से वादीगण बनवारी, विनोद उर्फ मनोज, पूजा के पक्ष में राजीनामा हो जाने से एक सहमति पत्र जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणितशुदा है को पेश कर तस्दीक कराया है तथा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किये जाने का निवेदन उपस्थित पक्षकारान् के द्वारा किया गया है।

प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने मध्य हुए सहमति पत्र अनुसार अपने अपने हक हिस्से में दर्ज खातेदारी भूमियों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में आराजीयात काश्तकारी भूमि अवस्थित तन् ग्राम नांगल पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2405, 2406, 2410, 2451, 2455, 2456 कुल किता 06 कुल रकबा 3.300 हैक्टर की खातेदारी में दर्ज 1/3 हिस्से में से वादीगण संख्या 1 को 1/4 हिस्सें का, वादीगण संख्या 2 व 3 को 1/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सख्या 1 को 1/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा खातेदारी से प्रभू पुत्र नानग हिस्सा 1/6 व भगवाना पुत्र नानग हिस्सा 1/6 का नाम हजफ किये जाने हेतु दावा को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:35 IST
Reason: SelfAttested

20/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत ईस्तकरार हक, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा तन् ग्राम नांगल पटवार हल्का नांगल तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 2405, 2406, 2410, 2451, 2455, 2456 कुल किता 6 कुल रकबा 3.30 हैक्टर की खातेदारी में दर्ज 1/3 हिस्से में से वादीगण संख्या 1 को 1/4 हिस्से का, वादीगण संख्या 2 व 3 को 1/4 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/4 हिस्सा का तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खातेदारी से प्रभू पुत्र नानग हिस्सा 1/6 व भगवाना पुत्र नानग हिस्सा 1/6 का नाम हजफ किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

28/10/21

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– नांगल

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत – नांगल में आयोजित शिविर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

28/10/21

दिलीप सिंह
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– नांगल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.23 17:38:35 IST
Reason: SelfAttested